माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल
म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, गौरा बिसनखेडी, भोपाल-462044
फ़ोन- 0755-2551645, www.mcu.ac.in

निविदा सूचना क्र. - ---------   दिनांक

किराये पर दुकानों के आवंटन हेतु निविदाएं आमंत्रित

विश्वविद्यालय के बिसनखेडी भोपाल कैम्पस में नवनिर्मित 05 दुकानें किराये पर दिए जाने हेतु निविदाए आमंत्रित है। **दुकानों हेतु किराया प्रति दुकान रूपये 5000/- प्रतिमाह (जीएसटी सहित) एवं 200/- रू मैटनैस चार्ज प्रतिमाह देय होगा। विधुत मीटर चयनित फर्म के द्वारा स्वंय लगवाना होगा।** विस्तृत जानकारी एवं नियम शर्ते विश्वविधालय की बेब साइट पर देखी जा सकती है। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा फार्म 1000/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट 'कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल' के नाम से जमा कर संधारण शाखा या वि. वि. वेबसाइट www.mcu.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

सीलबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 दोपहर 3:00 बजे तक है। निविदा 20 अगस्त 2024, सायं 4:00 बजे खोली जाएगी।

कुलसचिव

दुकानों के आवंटन हेतु तकनीकी प्रपत्र

(प्रपत्र लिफाफा (अ) में रखें)

क्र.	विवरण	रीमार्क
1	निविदा प्रदाता व्यक्ति/ संस्था/ फर्म का नाम	
2	वर्तमान पता	
3	स्थायी पता	
4	फोन नं.	
5	संस्था/फर्म का अधतन पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र) संलग्न करे (गुमास्ता) <u>एच्छिक</u>	
6	प्रोपराइटर अथवा व्यवसाय/ फर्म का पेन नं. (छायाप्रति संलग्न करे) **<u>अनिवार्य</u>**	
7	प्रोपराइटर का आधार कार्ड (छायाप्रति संलग्न करे) **<u>अनिवार्य</u>**	
8	व्यवसाय का जीएसटी नं. (छायाप्रति संलग्न करे) <u>एच्छिक</u>	
9	निविदा फार्म डी.डी. रू 1000/- (प्रति दुकान) (वापसी योग्य नहीं)	डी.डी.नं. - राशि
10	धरोहर (ईएमडी) राशि आवेदन के साथ 25000/- (प्रति दुकान) डी.डी. संलग्न करे। **(वापसी योग्य)**	डी.डी.नं. - राशि

मैं कथन करता हूं कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसके सभी नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ ली गई है एवं मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का नाम

हस्ताक्षर/मुहर

दिनांक -

स्थान -भोपाल

दुकान किराये पर लेने हेतु बोली

लिफाफा – (ब) में रखें

प्रति,

कुलसचिव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं
संचार विश्वविधालय भोपाल 462044

विषय: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविधालय भोपाल परिसर में स्थित दुकाने किराये पर लिए जाने विषयक।

<u>दुकानो में प्रस्तावित व्यवसाय की सूची:-</u>

1. किराना (ग्रोसरी)
2. स्टेशनरी/जनरल स्टोर/एमपीऑन लाइन कियोस्क/फोटोकापी
3. डेयरी/सब्जी/फल
4. सैलून/ब्यूटी पॉलर
5. लॉड्री (प्रेस/आयरन की दुकान)

(अ) जिस क्रमांक की दुकान किराये पर लेनी है उसका नाम एवं क्रमांक लिखे- ....
(एक दुकान हेतु एक फार्म ही भरे)

दिनांक:
स्थान:

मालिक(ओं)/साझेदार(ओं)/निविदाकार
या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

नियम एवं शर्तें

1. निविदा फार्म विश्वविधालय की बेबसाईट www.mcu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है, या विश्वविधालय की संधारण शाखा से क्रय किया जा सकता है।

2. यह निविदा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविधालय के बिसनखेडी परिसर में नवनिर्मित 05 दुकानों को किराये पर दिए जाने हेतु है। क्र. 1 से 4 दुकानो का क्षेत्रफल 140 वर्गफीट एवं क्र. 5 दुकान का क्षेत्रफल 80 वगर्फीट है। दुकाने क्रमश: 1. किराना (ग्रोसरी) 2. स्टेशनरी / जनरल स्टोर / एमपीऑनलाइन कियोस्क / फोटोकापी 3. डेयरी / सब्जी/फल 4. सैलून / ब्यूटीपालर 5. लॉड्री (प्रेस / आयरन की दुकान) हेतु आरक्षित है।

3. दुकाने प्रथमत: दो वर्ष हेतु किराये पर आबंटित की जायेगी। जिस हेतु रूपये 1000 के नोटरी स्टाम्प पर अनुबंध निस्पादित किया जायेगा। दो वर्ष बाद आपसी सहमती से इसे आगे भी बढाया जा सकेगा जो कि अधिकतम 5 वर्ष हेतु रहेगा। साथ प्रत्येक दो वर्ष पश्चात देय किराये में 20प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी सिर्फ विश्वविधालय की बेब साइट पर दी जावेगी।

5. निविदा का चयन :- एक ही प्रकार की दुकान हेतु एक से अधिक निविदा प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति के माध्यम से दुकाने आवंटित की जायेगी।

6. अंतिम रूप से चयनित फर्म/व्यक्ति को सुरक्षा राशि के रूप में विश्वविधालय को रूपये 100000/- (एक लाख रूपये) की सुरक्षा राशि विश्वविधालय में जमा करनी होगी जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। दुकान संचालन का कार्य समाप्ति के उपरांत अनुबंध की शर्तो के अनुसार यह राशि वापिस की जा सकेगी।

7. चयनित दुकानदार को 100 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही है। शपथ पत्र का प्रारूप निविदा फार्म के साथ दिया जा रहा है।

8. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएगी।

9. सफल निविदाकारों के साथ विश्वविधालय एक अनुबंध निस्पादित करेगा। अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर दी जायेगी।

10. दोनो पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 3 माह पूर्व सूचना देनी होगी। आवंटी द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए निविदा समाप्त करने पर उसे विश्वविधालय को 3 माह का किराया देना होगा।

11. दुकान संचालन में कोई शिकायत पाये जाने पर अथवा कार्य संतोषजनक न होने या शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकार का आदेश विश्वविधालय प्रशासन द्वारा किसी भी

समय बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त किया जा सकता है या पैनल्टी अधिरोपित की जावेगी।

12. दुकानो के संचालन में श्रम नियमों एवं अन्य सभी आवंटन शासकीय नियमों का पालन करना एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी संचालक फर्म/व्यक्ति की होगी।

13. दुकानो पर उच्च मानक स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री/ सेवा उपलब्ध करानी होगी।

14. दुकान संचालको हेतु राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय समय पर अधिरोपित टैक्स आदि का भुगतान समय समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तर दायित्व चयनित दुकान संचालक का होगा।

15. जिन दुकानदारों की निविदा मान्य नहीं होगी उनकी धरोहर राशि नियमानुसार लौटा दी जायेगी।

16. स्वीकृत /अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर/सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

17. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविधालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

18. दुकानों के आसपास स्वचछता एवं सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी चयनित निविदाकारों की होगी।

19. निविदा प्रक्रिया के सबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation)का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का निर्णय अतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

21. दुकानों के अंदर किसी भी मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों / धूम्रपान सामग्री (पान, तम्बाकू बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का नशा अथवा मादक पदार्थ को सेवन या नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दुकान संचालक पर पेनाल्टी/आवंटन निरस्त की जा सकेगी।

22. दुकानों के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व दुकान संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियो का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी दुकान संचालक उत्तरदायी होगा।

23. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है।

24. यह आवंटन अहस्तांतरणीय है।

25. चयनित संस्था अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं तन अभिलेख रखेगी। प्रत्येक कमी के पास पहचान-पत्र (I-Card) होना अनिवार्य होगा।

26. दुकानों की निविदा खोले जाने के समय, यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। निविदाकार के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि की

उपस्थिति हेतु लिखित आवेदन पत्र निविदाकार को देना होगा तभी उसका प्रतिनिधि मान्य किया जायेगा। निविदा खोले जाते समय निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति होना चाहिए। अनुपस्थिति की स्थिति में बाद में कोई पक्ष या आपत्ति मान्य नही होगी।

27. चूंकि ये दुकाने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर के अंदर स्थित है परिसर के अंदर ही स्टाफ के आवास एवं कन्या या बालक छात्रावास भी स्थित है अतः दुकानों में कार्यरत कर्मियों का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए

28. दुकान संचालन में कार्यरत कर्मियों के साथ हुई किसी प्रकार की दुघर्टना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

29. दुकान संचालक को दुकान का किराया, मैटनेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अर्थदंड/अधिभार लगाया जायेगा अथवा आवंटन निरस्त किया जायेगा

30. विधुत कनैक्शन चयनित फर्म द्वारा स्वयं लगवाया जाना होगा। जिसके देयक का भुगतान दायित्व दुकान संचालक का होगा।

31. पैक्ड आइटम को एम.आर.पी. से अधिक की दर पर नहीं बेचा जायेगा। ऐसा करने पर अर्थदण्ड / आवटंन निरस्त किया जा सकता है।

32. किसी विवाद की स्थिति में गुण-दोषों के आधार पर कुलपति का निर्णय अतिम तथा बाध्यकारी होगा।

33. जिन्हे दुकान आवंटित हुई है उन्हे 3माह के भीतर नगर निगम का प्रमाण पत्र (गुमस्ता) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दी जायेगी।

मैं कथन करता हूं कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसके सभी नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ ली गई है एवं मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक-

शपथ पत्र (प्रारूप)
रु.100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

मै... द्वारा प्रोप्राईटर/ मेसर्स/दुकानदार................................. . . . .

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-

(1) यह कि फर्म/दुकानदार किसी भी शासकीय संस्था /उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(2) यह कि फर्म/दुकान संचालन संबंधी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

(3) यह कि फर्म/दुकानदार पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत समस्त शर्तो, नियमों को मेरे द्वारा पढ लिया गया है। इन्हे मानने हेतु में बाध्य हॅू। शपथ पत्र में दर्शायी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविधालय भोपाल को होगा।

शपथ ग्रहिता

मै उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हॅू कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु 1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथ ग्रहिता